न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1512–तीन/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 27–12–2012 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला अशोकनगर – प्रकरण कमांक 179/2006–07 स्वमेव निगरानी

रामदास पुत्र धर्मपाल काछी
ग्राम कदवाया तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 3 फरवरी, 2016 को पारित)

कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 179/2006–07 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–12–2012 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार ईसागढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम कलावदा स्थित आराजी कमांक 188 रकबा 0.428 हैक्टर तथा आराजी कमांक 189 रकबा 0.575 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.003 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा है) पर वह खेती करता आया है इसलिये इस भूमि का व्यवस्थापन किया जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण क0 157 अ–19/1993–94 पंजीबद्ध किया तथा आदेशदिनांक 10–6–1994 से वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 के अंतर्गत आवेदक के हित में कर दिया।

अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के अभिज्ञान में यह तथ्य आने पर जांच कर अपर कलेक्टर अशोकनगर को व्यवस्थापन में अनियमिततायें करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। वाद में गुना जिला विभाजित होकर अशोकनगर जिला बनने के उपरांत यह प्रकरण कलेक्टर अशोकनगर को हस्तांतरित होने पर नवीन प्रकरण क्रमांक 179/08-09 स्वमेव निगरानी में दर्ज किया तथा आवेदक को सुनकर आदेश दिनांक 27-12-12 पारित करते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-6-1994 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-6-1994 के विरूद्ध कलेक्टर ने अतिविलम्ब से निगरानी की है जो समयवाधित है। कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 179/2006-07 स्वमेव निगरानी के अवलोकन से पाया गया कि नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-6-1994 के विरूद्ध कलेक्टर अशोकनगर ने वर्ष 2006-07 में स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की है परन्तु कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक 179/2006-07 गुना जिला विभाजित होकर अशोकनगर के नवीन जिला गठित होने के उपरांत कलेक्टर को अंतरित होने पर दर्ज हुआ है इसके पूर्व अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में वर्ष 1998-99 में स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज हो चुका है तथा आवेदक को अपर कलेक्टर अशोकनगर ने पेशी 9-2-99 नियत कर केंप ईसागढ़ पर सुनवाई हेतु आहुत किया है यह नोटिस कलेक्टर के प्रकरण में पृष्ठ 25 पर संलग्न है । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रतिवेदन पर से अपर कलेक्टर अशोकनगर के अभिज्ञान में वर्ष 1998 में वादग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन में अनियमितता करने का

तथ्य आ गया , इसके वाद कलेक्टर अशोकनगर को प्रकरण हस्तांतरित होने पर नवीन दायरे पर क्रमांक 179/2006-07 पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ आवेदक के हित में नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 157 अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 10-6-1994 से भूमि सर्वे क्रमांक 188 रकबा 0.428 हैक्टर तथा आराजी क्रमांक 189 रकबा 0.575 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.003 हैक्टर व्यवस्थापित की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार -3 की कंडिका 24 में प्रावधान है कि भूमियों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो पहाड़ी अथवा पथरीली असिंचित भूमि के मामले में एक हैक्टर से अधिक न हो, अथवा अन्य प्रकार की असिंचित भूमि के मामले में 1/2 हैक्टर या उससे कम हो, बहतर उपयोग की दृष्टि से उससे लगी भूमि के भूधारी को बंटित की जा सकेगी, जबकि नायव तहसीलदार ने आवेदक के हित में 1.003 हैक्टर भूमि व्यवस्थापित की है जो न तो आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि से लगी हुई है एंव 1.003 हैक्टर भूमि के व्यवस्थापन के नियम नहीं है। आवेदक के पास ग्राम में पूर्व से ही 1.317 हैक्टर भूमि है वह भूमिहीन भी नहीं है। स्पष्ट है कि आवेदक को भूमि व्यवस्थापन की पात्रता नहीं थी फिर भी नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10-6-94 से अपात्र व्यक्ति के हित में भूमि व्यवस्थापित की है जिसके कारण कलेक्टर अशोकनगरने भूमि व्यवस्थापन निरस्त करने में त्रृटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर अशोकनगर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 179/08-09 में पारित आदेश दिनांक 27-12-12 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर